प्रेस नोट दिनाँक-27.09.2020

(1). आज दिनाँक-27.09.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम रौली कल्याणपुर में ग्रामवासियों के साथ सम्मेलन कर वार्ता की गयी एवं उनकी समस्याओं के बारें में पूछा गया। महोदय द्वारा ग्राम के रजिस्टर नं0 08 के भाग (1) का भौतिक सत्यापन किया, ग्रामवासियों से प्रचलित दुराचारियों के बारें में जानकारी प्राप्त की गयी। ग्राम के 42 शस्त्र लाइसेंसियों का भौतिक सत्यापन किया गया। ग्रामीणों से स्थानीय मनबढ़ नवयुवकों, शराब, जुआ एवं अन्य नशें की शिकायतों के सम्बन्ध में वार्ता की गयी। स्थानीय मकान एवं भूमि विवाद के सम्बन्ध में ग्रामीणों से पूछा गया। महोदय द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत ग्रामवासियों से सतर्कता बरतने एवं बाहर निकलने पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु बताया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों से 30 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित नाजायज व 15 क्वार्टर देशी मस्ती शराब नाजायज बरामद की गयी।

(1). उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रमेश निषाद पुत्र स्व0 फत्ते निषाद निवासी कपसेठी थाना कर्वी चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव चौकी सीतापुर
2. उ0नि0 श्री इन्दल यादव
3. आरक्षी सोनू

2). उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त प्रभुदयाल पुत्र सूरजबली निवासी तौरा थाना पहाड़ी चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित नाजायज के साथ तौरा तिराहा थाना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण

3). व0उ0नि0 श्री केसरी प्रसाद यादव थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बलराम विश्वकर्मा पुत्र रामकिशोर निवासी करौदीकला थाना रैपुरा चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी मस्ती शराब नाजायज के साथ प्रा0 विद्यालय के सामने करौदीकला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री केशरी प्रसाद यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी मुंशीराम